तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पंचायत निगरानी संख्याः 05/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
16-12-2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थी हलीमा बानू उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 (एक) सतार खां व अप्रार्थी सं. 1 (एक) के वकील उपस्थित। पक्षकारान को लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर निस्तारण कराने हेतु समझाईश की गई। पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से इस निगरानी प्रकरण को प्रार्थी द्वारा आगे चलाना नहीं चाहने से Not press किया गया है। अतः यह निगरानी प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 22-12-2024 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)	इस निगरानी प्रकरण को लोक अदालत की भावना से प्रार्थी आगे नहीं चलाना चाहता है उक्त प्रकरण को Not press करता हूँ। L.T.I. हलीमा बानु पहचानकर्ता [signature] 16/12/024 सतार खां

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राष्ट्रीय लोक अदालत

(बैंच संख्याः 2)

समक्षः–

श्री सुरेन्द्र सिंह सांदू, अध्यक्ष, लोक अदालत
डॉ. दिनेश राय सापेला, सदस्य, लोक अदालत, राजस्व मामलात
श्री बलवन्त कुमार मेघवाल, सदस्य अधिवक्ता, लोक अदालत।

पंचायत निगरानी संख्याः– 05 / 2024
अनवान :– हलीमा बानु बनाम सत्तार खान व अन्य

उपस्थितिः–
प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री संजय दहिया
अप्रार्थी सत्तार खान की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे

आदेश

दिनांकः 22.12.2024

पत्रावली लोक अदालत बैच संख्या 02 के समक्ष पेश हुई। इस निगरानी प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थीया इस निगरानी प्रकरण को आगे नही चलाना चाहता है, इसलिये प्रार्थीया द्वारा इस निगरानी आवेदन को दिनांक 16.12.2024 को Not Press किया गया है। अतः प्रकरण को फैसल करने के लिये नियमित न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 23.12.2024 को पेश हो।

अध्यक्ष लोक अदालत	सदस्य लोक अदालत राजस्व मामलात	सदस्य लोक अदालत

23.12.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सत्तार खान के अधिवक्ता उपस्थित। इस निगरानी प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थी ने इस निगरानी प्रकरण को आगे नही चलाना चाहने से Not Press किया है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन जरिये Not Press खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

अति. जिला कलेक्टर, सिरोही